सार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है वकील वादी पत्र के पैरा संख्या 9 में मौजा रूपाथल के खेत खसरा नम्बर 1071/210 रकबा 0.5099 र, खसरा नम्बर 1073/574 रकबा 1.0602 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1075/607 रकबा 1. हैक्टेयर कुल 3 खसरे कुल रकबा 2.6951 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को दी संख्या 2 के साथ सहखातेदार कृषक घोषित किया जाना अंकित किया है जिसके अनुसार एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी बडेर की भूमि में अपनी-अपनी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबाली जवाब दिनांक 24.01.2023 में वादी तथा दी संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति की है। उपरोक्त भूमि पुश्तैनी बडेर की भूमि है जिसमें प्रत्येक खसरे में प्रत्येक पक्षकार का हेस्सा निहित है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री प्रकार डिक्री किया जाता है।

मौजा रूपाथल के खेत खसरा नम्बर 1071/210 रकबा 0.5099 हैक्टेयर, खसरा र 1073/574 रकबा 1.0602 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1075/607 रकबा 1.1250 टेयर में वादी जयपाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 निरगा को प्रतिवादी संख्या 2 कैलाश के सहखातेदार घोषित किया जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाति है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। ल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

([illegible])
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 16.6.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner